इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 128 ]          भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अप्रैल 2023—वैशाख 1, शक 1945

## वाणिज्यिक कर विभाग

### मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्र. CT-8-0001-2023-Sec-1-पांच (CT) (08).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन 31 दिसम्बर, 2022 को या उससे पहले रद्द किया गया है और जो उक्त अधिनियम की धारा 30 में विनिर्दिष्ट परिसीमा के भीतर ऐसे रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करने में असफल रहे हैं, को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे, अर्थात् :—

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, 30 जून, 2023 तक ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेंगे;

(ख) प्रतिसंहरण के लिए आवेदन, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख तक देय विवरणी प्रस्तुत करने और ऐसी विवरणी के निबंधनों के अनुसार कर के रूप में देय रकम का, ब्याज, शास्ति और ऐसी विवरणी के संबंध में विलंब फीस के लिए संदेय रकम सहित, संदाय करने के पश्चात् ही फाइल किया जाएगा;

(ग) रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए ऐसे मामलों में और परिसीमा विस्तार, उपलब्ध नहीं होगा.

**स्पष्टीकरण.**—अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम की धारा 30 में विनिर्दिष्ट परिसीमा के भीतर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है, जिसकी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश या उक्त अधिनियम की धारा 107 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन खारिज करने के आदेश के विरुद्ध अपील उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट परिसीमा का पालन करने में असफल रहने के आधार पर खारिज की गई है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 31 मार्च, 2023 से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. पी. श्रीवास्तव,** उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्र. CT-8-0001-2023-Sec-1-पांच (CT) .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. CT-8-0001-2023-Sec-1-पांच (CT) (08), दिनांक 21 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. पी. श्रीवास्तव,** उपसचिव.

Bhopal, the 21st April 2023

No.CT-8-0001-2023-Sec-1-V (CT) (08).—In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the registered person, whose registration has been cancelled under clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of Section 29 of the said Act on or before the 31st day of December, 2022 and who has failed to apply for revocation of cancellation of such registration within the time period specified in Section 30 of the said Act as the class of registered persons who shall follow the following special procedure in respect of revocation of cancellation of such registration, namely :—

(a) The registered person may apply for revocation of cancellation of such registration upto the 30th day of June, 2023;

(b) The application for revocation shall be filed only after furnishing the returns due upto the effective date of cancellation of registration and after payment of any amount due as tax, in terms of such returns, along with any amount payable towards interest, penalty and late fee in respect of the such returns;

(c) No further extension of time period for filing application for revocation of cancellation of registration shall be available in such cases.

**Explanation.—**For the purposes of this notification, the person who has failed to apply for revocation of cancellation of registration within the time period specified in Section 30 of the said Act includes a person whose appeal against the order of cancellation of registration or the order rejecting application for revocation of cancellation of registration under section 107 of the said Act has been rejected on the ground of failure to adhere to the time limit specified under sub-section (1) of Section 30 of the said Act.

2. They shall be deemed to have come into effect from the 31st March, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.